न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/20

उद्दा आत्मज शंकर आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बोरदा तसहील हिण्डोली जिला बून्दी।
----अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल आयु 65 वर्ष आत्मज श्री नारायण जी जाति मोची निवासी हाल नृसिंहगढ जरिये मुख्तार दर्गाशंकर आत्मज श्री बालचन्द जी आयु 62 वर्ष निवासी पुराना माटूण्दा रोड, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धन कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 188 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 121/1 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी हीरालाल को जरिये मिसल संख्या 1594 से दिनांक 03.07. 1976 को नियामनुसार आवंटित की जाकर मौके पर वादी को कब्जा संभलाया गया था तभी से वादी हीरालाल निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी वादी के नाम गैर खातेदारी में अंकित हो रही है और इस भूमि का लगान भी वादी सरकार को अदा करता चला आ रहा है । वादी के गैर खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी का किसी किस्म का कोई कानूनी अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी कानून को अपने हाथ में लकर नेतागिरी के बल पर बल पूर्वक वादी की उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा करके वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका कि उसको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 121/1 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व जबरन कब्जा न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे । यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर या उसके किसी भाग पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर लिया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर उक्त भूमि का कब्जा वादी को वापस दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी जो रिसीवर में थी उसे वापस वादी को संभलाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का नियमानुसार अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । रेस्पोडेन्ट कम 1 कभी भी उक्त भूमि पर काबिज नहीं रहा न कभी उक्त भूमि पर उसने खेती की है और दिनांक 03.07.1976 को तथाकथित भूमि को अपने नाम पर आवंटन बताया गया है लेकिन आवंटन बताये जाने के पश्चात् कभी भी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा ग्राम बोरदा जाकर विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2015 को ही पेश कर दिया था परन्तु उक्त निर्णय की साथ डिक्री की नकल नहीं बनायी गई थी । निर्णय की डिक्री दिनांक 09.11.2015 को बनाई गई । इस प्रकार अपीलान्ट उक्त अपील समय पर पेश नहीं कर सका था । इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपना जवाब पेश किया था जिसमें कथन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 121 की 76 बीघा 01 बिस्वा आराजी है । खसरा नम्बर 121/1 की कोई आराजी नहीं है । खसरा नम्बर 121/465 तरमीम किया हुआ नम्बर है उसके उत्तर पूरब की आरे 05 बीघा का खसरा रेस्पोडेन्ट के पिता की गैर खातेदारी में है जो अब खातेदारी में अंकित हो चुका है । खसरा नम्बर 121 रकबा 76 बीघा 01 बिसवा के किसी भी अंश पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है । अपीलान्ट के पिता को खसरा नम्बर 121 की 76 बीघा 01 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि आवंटित हुई थी और यह आराजी उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र केसरी लाल के कब्जे में है । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई थी । दोनों पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया

गया । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है जो विधि – विरूद्ध है । रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी कभी कब्जा नहीं रहा है। दावा जरिये मुख्तार पेश किया गया है । कभी वादी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है और न ही साक्ष्य में उसके बयान हुए हैं । मुख्तारनामा पंजीकृत नहीं है,| अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी रिसीवरी में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत में रखा था और लोक अदालत में अपीलान्ट उपस्थित हुए हैं । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की आवंटनशुदा है जिसमें अपीलान्ट को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । आवंटन आदेश को निरस्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के पिता और अपीलान्ट ने पेश किया था वो अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.07.2006 से खारिज किया गया है और इसकी प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.04.2008 के द्वारा खारिज की जा चुकी है । अपीलान्ट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर दिनांक 14.07.1999 को तनकीयात कायम की गई थीं इसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज की गई है लेकिन पक्षकारों के द्वारा न तो कोई सहमति पेश की गई है और नही न कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करे अन्यथा इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात में से प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा